न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 04/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/9**
दायर दिनांक :– 15.01.2021 **निर्णय दिनांक :– 07.10.2024**

प्रार्थी
तानाराम पुत्र कानाराम
जाति मेघवाल निवासी सोणदा
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण
01. जोधाराम पुत्र कानाराम
02. कबीराराम पुत्र कानाराम
03. उदाराम पुत्र कानाराम
04. लाखाराम पुत्र कानाराम
05. भूराराम पुत्र नखताराम
06. भगीदेवी पत्नि नखताराम
07. नानकराम पुत्र हमीराराम
08. ओमाराम पुत्र हमीराराम
09. सुल्तानाराम पुत्र हमीराराम
10. बागाराम पुत्र हमीराराम
11. भोमाराम पुत्र मगाराम
12. नरसीराम पुत्र मगाराम
फौत के कायम मुकाम
12/1 हरीश पुत्र नरसीराम
12/2 केकूदेवी पत्नि नरसीराम
13. केवलकृष्ण पुत्र मगाराम
14. मोहनलाल पुत्र मगाराम
फौत के कायम मुकाम
14/1 श्रीराम पुत्र मोहनलाल
14/2 मनीषकुमार पुत्र मोहनलाल
14/3 अशोक मेगवाल पुत्र मोहनलाल
14/4 देवकीदेवी पत्नि मोहनलाल
15. केदारनाथ पुत्र मगाराम
16. केसाराम पुत्र सोनाराम
17. दुर्गाराम पुत्र सोनाराम
18. रूगाराम पुत्र टीकूराम
19. खेमाराम पुत्र टीकूराम
20. दयाराम पुत्र टीकूराम
21. बरजू देवी पुत्र टीकूराम
फौत (**विलोपित**)
जाति मेघवाल नि. सोणदा
तहसील बाप जिला जोधपुर
22. श्रीमान तहसीलदार, बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:15:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी

07.10.24

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 20 की और से

3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 646/2 रकबा 16—00 बीघा भूमि सरहद मौजा सोणदा पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। जमाबंदी संवत 2071—2074 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि की तरमीम बाबत कभी किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश नही किया और न ही उक्त भूमि बाबत बंटवाड़ा ही प्रार्थी ने अन्य खातेदारों के साथ किया है। लेकिन पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार पर प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण सं. 7 ता 21 की खातेदारी की भूमि की तरमीम करदी है जो तरमीम उक्त भूमि के खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरीत है और जहां पर अप्रार्थीगण सं. 7 ता 21 की तरमीम दर्शायी गई है वहां पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 का कब्जा व काश्त है। वर्तमान नक्शा ट्रेस में जो तरमीम की गई है वह तरमीम खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरीत एवं मौके की स्थिति से भिन्न की गई है। इसिलये प्रार्थी नक्शा लठ्ठा में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश बिना की गई खसरा नम्बर 646/1 रकबा 22—00 बीघा को निरस्त करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 22 तहसीलदार बाप ने जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 20 की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 9, 15 ने इकबालिया जवाब पेश कर बताया कि ग्राम सोणदा पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 646/1 रकबा 22.00 बीघा भूमि में वर्तमान नक्शा ट्रेस में खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 22 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है कि ग्राम सोणदा पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 646/1 रकबा 22.00 बीघा व खसरा नम्बर 646/2 रकबा 16.00 बीघा भूमि ... दिया जाकर उक्त तरमीम को निरस्त किया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:15:39 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम सोणदा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 643/1 रकबा 22.00

07.10.24

बीघा, खसरा नम्बर 646/2 रकबा 16.00 बीघा भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित सेग्रीगेशन योजना के तहत की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का शेखासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.03.2022 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सोणदा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 646/1 रकबा 22.00 बीघा, खसरा नम्बर 646/2 रकबा 16.00 बीघा भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2022 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:15:39 IST
Reason: SelfAttested